भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3654
17 दिसंबर, 2024 को उत्तरार्थ

विषय: सतत् कृषि और जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए कदम

3654. श्री हरीभाई पटेलः

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने सतत् कृषि, जैविक कृषि को बढ़ावा देने और कीटनाशकों के उपयोग को कम करने के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई नीतियां शुरू की हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने गुजरात में कृषि उत्पादों के लिए बेहतर बाजार पहुंच और उचित मूल्य हेतु कोई उपाय किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या गुजरात में किसानों की आय में वृद्धि और आजीविका में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा कोई प्रस्ताव किया गया है अथवा किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/जिला-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) और (ख): सरकार सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में परम्परागत कृषि विकास योजना (पी.के.वी.वाई.) और पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन (एम.ओ.वी.सी.डी.एन.ई.आर.) को कार्यान्वित कर रही है ताकि सतत और जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा सके। ये योजनाएं जैविक खेती में लगे किसानों को उत्पादन से लेकर प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग), प्रमाणीकरण एवं विपणन और फसलोपरांत प्रबंधन तक एंड-टू-एंड समर्थन पर बल देती हैं। प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, योजना का अभिन्न अंग हैं। एकीकृत कीट प्रबंधन (आई.पी.एम.) को पर्यावरण अनुकूल दृष्टिकोण के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जो सांस्कृतिक, यांत्रिक, जैविक और आवश्यकता आधारित रासायनिक नियंत्रण उपायों को शामिल करता है। 28 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित केंद्रीय एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन केंद्र किसानों को आई.पी.एम. पर प्रशिक्षण देते हैं। पौध संरक्षण उपायों पर प्रशिक्षण देने के लिए विभिन्न गतिविधियाँ जैसे किसान फील्ड स्कूल, बीज उपचार अभियान और कीटनाशकों के सुरक्षित और विवेकपूर्ण उपयोग के बारे में जागरूकता कार्यक्रम आदि आयोजित की जाती हैं।

जनित रोगों के उपचार और स्वस्थ फसलों हेतु पौध संरक्षण उपायों पर प्रशिक्षण देने के लिए विभिन्न गतिविधियां जैसे किसान खेत पाठशाला, बीज उपचार अभियान और कीटनाशकों के सुरक्षित और विवेकपूर्ण उपयोग के बारे में जागरूकता कार्यक्रम आदि आयोजित की जाती हैं।

(ग): वर्ष 2015-16 से पी.के.वी.वाई. के तहत गुजरात राज्य को 15.72 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं जिसमें किसानों से जैविक उत्पादों की सीधी खरीद का समर्थन करने के लिए ब्रांडिंग, प्रचार, प्रदर्शनियों, व्यापार मेलों और अन्य विपणन पहलों के लिए सहायता शामिल है। किसानों द्वारा जैविक उत्पादों के सीधे विपणन के लिए एक समर्पित वेब पोर्टल बनाया गया है ताकि उन्हें बेहतर मूल्य मिल सके।

(घ): कृषि राज्य का विषय है इसलिए राज्य सरकारें कृषि के विकास के लिए उचित कदम उठाती हैं। भारत सरकार उचित नीतिगत उपायों, बजटीय सहायता और विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से राज्यों के प्रयासों को पूरा करती हैं। विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों का उद्देश्य उत्पादन में वृद्धि, लाभकारी रिटर्न और किसानों को आय सहायता देकर किसानों के कल्याण के लिए गुजरात सहित राज्यों को सहायता प्रदान करना है। मंत्रालय की केंद्रीय क्षेत्रक और केंद्र प्रायोजित योजनाएं गुजरात में कार्यन्वित हैं। योजनाओं और उनके घटकों का जिला-वार विवरण केंद्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता है। गुजरात सरकार ने सूचित किया है कि किसानों को प्रशिक्षित करने के लिए इस वर्ष से "राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन- वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास" योजना कार्यान्वित की गई है।

*****